न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

अपील पत्र संख्या ::– 2/2023

1. कैलाश माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
2. तेजपाल माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
3. सुरेश माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
4. अशोक माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
5. सुनिल माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
6. राजीबाई माता मांगीगबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
7. छीतरी बाई उर्फ संतोष माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
8. लीला बाई माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ
9. चन्दा माता मांगीबाई पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कादुन्दा तह. बेगूँ

अपीलान्ट

बनाम

1. सजनीबाई पिता तुलसीराम जी कुम्हार निवासी पाडावास हाल मुकाम पति प्यारचन्द्र कुम्हार निवासी टाकरदा तह. रावतभाटा जिला चितौडगढ़
2. शंभूलाल पिता नन्दलाल जी कुम्हार निवासी पाडावास तह. बेगूँ
3. रेखा पिता नन्दलाल जी कुम्हार निवासी पाडावास तह. बेगूँ
4. शांतिबाई पत्नि नन्दलाल जी कुम्हार निवासी पाडावास तह. बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ तह. बेगूँ जिला चितौडगढ़
6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित ::– श्री तूफानसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक ::– 11.11.2024

आदेश नामान्तरण सं. 78 मौजा छालियो की बैठक प.ह. मण्डावरी दिनांक 11.01.1990

अपीलान्ट की ओर से अपील पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम छालियो की बैइक प.म. मण्डावरी त. बेगूँ की कृषि आराजी संख्या 91.99.100.119 कुल कीता–4 रकबा 1.020 हैक्टर व आराजी सं. 97, 98 कुल किता–2 रकबा 0.032 हैक्टर भूमि खातेदार तुलसीराम पिता भोला कुम्हार के खातेदारी हक से राजस्व रिकोर्ड में जमाबन्दी 2045– 2048 में दर्ज रिकोर्ड थी, जिसका रिकोर्ड संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि के खातेदारी तुलसीराम पिता भोला जी कुम्हार का वंश वक्ष निम्न है :–

भोला (फोत)
।
तुलसीराम (फोत)
।

रामीबाई(पत्नि) (फोत) — मांगीबाई(पुत्री)(फोत) — सजनीबाई (रेस्पो0) 1
।

कैलाश — तेजपाल — सुरेश — अशोक — सुनील — राजी — संतोष उर्फछीतरी — लीला — चन्दा

यह कि मृतक खातेदार तुलसीराम पिता भोला की मृत्यु पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण सं0 78 खोला गया जिसमें मृतक जीवित संतान अपीलान्ट की माता एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 का हवाला न देकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के मृतक पिता नन्दलाल का गोद पुत्र बताते हुए नामान्तरण कर दिया जो कानून विपरित होकर प्रारम्भ से शुन्य है क्यो कि पटवारी हल्का को गोदपुत्र घोपित करने का अधिकार नहीं था इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 78 निरस्त किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि पटवारी हल्का द्वारा गलत जानकारी के आधार पर कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता नन्दलाल को मृतक तुलसीराम का गोदपुत्र बता दिया गया जबकि मृतक तुलसीराम के रेस्पोडेन्ट की माता एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 जीवित संताने थी जिनका कानूनन उक्त भूमि में हक अधिकार है इसलिए कानूनन नामान्तरण संख्या 78 निरस्त होने योग्य है।

यह कि उक्त सम्पति मृतक तुलसीराम पिता भोला कुम्हार के अकेले के खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलान्ट की माता मांगीबाई उनकी जीवित संतान होने से हक अधिकार निहीत था जिनका नामान्तरण संख्या 78 में नाम अंकित न कर बेबुनियादी आधार पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक नन्दलाल के नाम विरासत से नामान्तरण कर भारी कानूनी भूल की है।

यह कि अपील वर्णित भूमि अपीलान्ट की माता के कब्जे उपयोग उपभोग में थी, जिस पर अपीलान्ट की माता काश्त कर रही थी, अपीलान्ट की माता का दिनांक 16.12.2022 को मृत्यु होने के पश्चात पटवारी हल्का मण्डावरी के पास उक्त भूमि की नामान्तरण करवाने हेतु अपीलान्ट गये तो पता चला कि उक्त भूमि तो अपीलान्ट की माता के नाम ही दर्ज नहीं है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकोर्ड व नामान्तरण संख्या 78 की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया कि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता के नाम दर्ज कर दी जो कानून विपरीत है क्यो कि पटवारी हल्का को गोदपुत्र की घोषणा कर नामान्तरकरण करने का अधिकार नहीं है इसलिए नामान्तरण संख्या 78 के निर्णय को निरस्त किये जाने हेतु अपील अपीलान्ट प्रस्तुत है। यह कि दिनांक 31.01.2023 को राजस्व रेकार्ड व नामान्तरण सं0 78 की नकल प्राप्त करने से अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम मौजा छालियो की बैठक प.ह. मण्डावरी का नामान्तरण संख्या 78 निरस्त फरमाया जाकर मृतक तुलसीराम पिता भोला कुम्हार के विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच कर रेस्पांडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 , 2, 3, 4 ,6 के सम्मन बाद तामील होने के बाद भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आए इस कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रकरण में भूमिधारी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब भी प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस को प्रस्तुत अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए पटवारी हल्का द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 78 व बिना जानकारी के खोला जाकर स्वीकृत कराने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया, अधिवक्ता अपीलान्ट ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि गोदपुत्र को निर्णित किया जाने का अधिकार अधिनस्त नायब तहसीलदार को नहीं होते हुए भी यह गोदपुत्र के पक्ष में नामान्तरण खोला गया जबकि मृतक की जायन्दा पुत्री जीवित थी उनके नाम पर नामान्तरण नहीं खोला गया है जो कानून विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमाई जाकर तुलसीराम के वारिसान के नाम पर नामान्तरण खोला जावे।

पत्रावली पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के बाद पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा छालियो की बैठक प0ह0मण्डावरी संवत 2049 से 2052नकल का अवलोकन किया। आराजी संख्या 91, 99, 100, 119 कीता– 4 कुल रकबा 1.020 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नन्दलाल पिता मु. तुलसीराम कुम्हार सा. पाडावास खातेदार इ.नं. 78 दिनांक 11.01.1990 के नाम पर दर्ज अंकित है। यानि यह अंकन नामान्तरण संख्या 78 से हुआ है जो कि इस पत्रावली में विवादग्रस्त नामान्तरण है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा छालियो की बैठक सं. 2045 से 48 में कृषि आराजी संख्या 91, 99, 100, 119 कीता– 4 कुल रकबा 1.020 हैक्टर भूमि यानि 6बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री तुलसीराम पिता भोला कुम्हार सा. पाडावास खातेदार दर्ज अंकि थे।

नकल नामान्तरण संख्या 78 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, यह इन्तकाल विरासत तुलसीराम फोत होने की कार्यवाही से खोला गया है। वर्णित भूमि कीता–4 कुल रकबा 1.020 हैक्टर भूमि जिसके खातेदार श्री तुलसीराम पिता भोल कुम्हार सा. पाडावास खातेदार थे की मृत्यु के पश्चात यह नामान्तरण श्री नन्दलाल पिता मु0 तुलसीराम कुम्हार सा. पाडावास के नाम पर खोला गया है। इस नामान्तरण पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " निवेदन है कि तुलसीराम फोत हो चुका है उसके भाई भूरा के लडके नन्दलाल के जाति रिवाज के अनुसार गोद रखा है। तुलसीराम की पगडी भी उसे ही बांधी गई है। खातेदार की बेवा फोत हो चुकी है। मुतबन्ना श्री नन्दलाल के नाम पर नामान्तरण दायर कर उचित आदेशार्थ पेश है।

[signature]

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

नामान्तरण पर सजरा भोला के पुत्र तुलसीराम फोत भूरा के पुत्र नन्दलाल को अंकित करते हुए भू0अ0 निरीक्षण ने अंकन किया कि कालम नम्बर 1 से 7 तक दुरस्त होकर बाद जॉच वारिसान के फैसल फरमाया जावें। बुरूनमियाद। इस पर नायब तहसीलदार द्वारा निणय अंकित किया जो दिनांक 11.01.1990 को किया गया कि हस्त रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर सर्किल के होने से स्वीकृति दी जाती है। बेरूनमियाद होने से जुर्माना 10.00 वसूल किये जावे।

इस प्रकार यह गोदपुत्र होने के कथन को केवल सुना जाकर मृतक के विरासत में अंकन कर दिये जाने से नामान्तरित वारिस गोदपुत्र, गोदपुत्र की परिभाषा में ही नहीं आता है। साथ ही गोदपुत्र के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने का अधिकार तहसीलदार बेगूं को विधिवत गोदपुत्र के सम्बन्ध मे सभी दस्तावेज संकलित करते हुए पत्रावली कायम करते हुए नियमानुसार उसमें मृतक के विधिक वारिसान को तलब करते हुए उनकी साक्ष्य आदि लेकर निर्णित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही कानूनी तौर पर यदि किसी को जाति समाज के अनुसार गोद रखा जाता है तो उन्हें संकलित साक्ष्य अनुसार ही निर्णित किया जावेगा और यदि किसी के द्वारा लिखित पत्र अनुसार किसी को गोद रखा जाता है तो वह गोदनामा पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। किन्तु ऐसा कोई प्रमाण इस पत्रावली में भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही यह नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया है, जो कि पूर्ण जॉच करते हुए स्वीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार यह नामान्तरण निरस्त किया जाने योग्य होकर मृतक तुलसीराम के विधिक वारिसान की जॉच करते हुए नियमानुसार नामान्तरण खोला जाने का आदेश दिया जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। ग्राम मौजा छालियो की बैठक पटवार मण्डल मण्डावरी का नामान्तरण संख्या 78 निर्णित दिनांक 11.01.1990 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूं को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक तुलसीराम पिता भोला कुम्हार के विधिक उत्तराधिकारियो के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच करते हुए नियमानुसार विरासत से नामान्तरण खोल कर निर्णित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला-चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :-

अपील पत्र संख्या 2/2023 व अनवान कैलाश बनाम सजनीबाई वगै अपील नामा.सं. 78 स्वीकृत दिनांक 11.01.1990 में इस न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ आपको दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला-चितौडगढ़